प्रकरण संख्या 8/2023 मंगला व अन्य बनाम हाजमल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि आराजी नंबर 1898 रकबा 0.6300 हैक्टर भूमि मौजा खेरवाड़ा में स्थित है, जो प्रार्थी ने पूर्व खातेदार श्याम सुन्दर से क्रय की। तब से प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। आराजी नंबर 1892 रकबा 0.4600 हैक्टर विपक्षीगण के खातेदारी में दर्ज है, जिससे प्रार्थी अपनी भूमि पर आता जाता है तथा पूर्व खातेदार भी कदीम से इस रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः आराजी नंबर 1898 में आने जाने हेतु आराजी नंबर 1892 में से रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाकर नक्शे में तरमीम किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 12.01.2023 को निर्णय पारित करते हुए रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री चुन्नीलाल मीणा उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट अजनवी क्रेता है, जब तक प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के मध्य विभाजन नहीं हो जाता, तब तक अजनबी क्रेता को कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा मरे हुए व्यक्तियों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा मरे हुए व्यक्ति की तामील मानकर निर्णय पारित किया है, जो एबइनिश्योिवाईड है। आराजी नंबर 1892 में से कोई रास्ता नहीं है, बल्कि आराजी नंबर 1894 व 1890 से होकर आराजी नंबर 1898 में जाने का रास्ता है। तहसीलदार ने बिना मौका देखे प्रार्थी से मिली भगत के आधार पर रिपोर्ट पेश की [illegible] जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है, वह त्रुटि पूर्ण होकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:15 IST
Reason: SelfAttested

अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.01.2023 अपास्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2019 (2) Page 1128, RRT 2016 (2) Page 1281, RRT 2021 (2) Page 1286, RRT 2017 (2) Page 1047 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 16 की बहस सुनी। स्वयं विपक्षी संख्या 16 ने आराजी नंबर 1898 में आने–जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नंबर 1892 से बताया है तथा मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि न्यूनतम दूरी का रास्ता आराजी नंबर 1892 में से उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। विपक्षी संख्या 16 राज्य सरकार के अधिवक्ता ने आराजी नंबर 1898 में आने जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नंबर 1892 में से होने का कथन किया है तथा नजरी नक्शा अनुसार भी आराजी नंबर 1898 में आने–जाने का न्यूनतम दूरी का रास्ता अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 7 की आराजी नंबर 1892 में ही दर्शित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर खातेदार को डी.एल.सी. दर से दुगनी कीमत अदा करने की शर्त पर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होती हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 39/2019 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं अतिरिक्त अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:15 IST
Reason: SelfAttested